“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 5-14/2017/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 23-10-2017 से 03-11-2017 (12 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश एवं अवकाश पूर्व सार्वजनिक अवकाश दिनांक 14-10-2017 से 22-10-2017 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 04 एवं 05 नवम्बर, 2017 सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

क्रमांक 1415/छ.ग.रा.प.चि.प./2017-18/रायपुर.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (केन्द्रीय अधिनियम 1984 का क्र. 52) के खण्ड 30 की धारा (ब) के प्रावधानों के स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रदाय की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ.ग. शासन एतद्द्वारा खण्ड 30 की धारा (ब) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उल्लेखित लघुपद पशु चिकित्सा सेवाओं (Minor Veterinary Services) के लिये उन व्यक्तियों को अधिकृत करती है, जिनके पास निर्दिष्ट प्रावधान के तहत उक्त कार्य हेतु डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो :—

1. बीमार पशु-पक्षियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा

2. सतही घाव, फोड़ा एवं फिस्चुला का उपचार करना.

3. ऐंटिसेप्टिक एवं इंटरा-यूटेराइन दवा देना.

4. ल्यूगोल्स या पोविडान आयोडिन जैसे साल्यूशन के द्वारा पशुओं के गर्भाशय ग्रीवा में लेप लगाना.

5. प्रोलेप्स वाले पशुओं में प्राथमिक उपचार करना.

6. प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर दर्द एवं ज्वर होने पर दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक औषधियां मुख मार्ग से देना.

7. असंक्रमित रोग जैसे पेट फूलना (अफरी), कब्जा, दस्त एवं अन्य सामान्य रोगों का प्राथमिक उपचार करना.

8. मुख्य शल्य क्रिया में पंजीकृत पशु चिकित्सक को सहयोग करना.

9. बीमार पशु-पक्षियों का तापमान लेना.

10. खुरपका, मुंहपका (एफ.एम.डी.), थनैला (मैस्टाइटिस), मुखपाक (स्टोमेटाइटिस) जैसे रोगों में एन्टीसेप्टिक/लोशन व दवाईयों से मुख, खुरो, पैरों, थनों आदि की सफाई करना.

11. पशुओं में सामान्य फ्रेक्चर में प्राथमिक उपचार करना.

12. पशुधन एवं कुक्कुट आवासों का निर्जन्तुकरण करना.

13. अंत: एवं बाह्य परजीवी से बचाव.

14. पशुओं में बंद विधि से बधियाकरण, डी. हार्निंग, डिस बडिंग एवं कुक्कुट में डी बीकिंग करना.

15. पशु-पक्षियों में बचाव हेतु प्रतिबंधात्मक टीकाकरण करना.

16. औषधियों/चिकित्सीय प्रिपेरेशन को बनाना एवं देना.

17. प्रयोगशाला में जांच हेतु उक्त, सीरम, मूत्र, गोबर, वीर्य, दूध एवं अन्य नमूनों को एकत्र करना एवं भेजना.

18. पंजीकृत पशु चिकित्सक के निगरानी में ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 (1940 का 23) अन्तर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक नियम 1945 के शेड्यूल "एच" में विशेष रूप से उल्लेखित अनुसार औषधियों को खिलाना/पिलाना एवं लगाना.

19. जहरखुरानी, सर्पदंश, लाइटनिंग स्ट्रोक, डिस्टोकिया, जंगली जानवर का आक्रमण, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार करना.

20. पंजीकृत पशु चिकित्सक के निगरानी में रक्त प्रोटोजोआ एवं अंत: एवं बाह्य परजीवी से बचाव हेतु एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-फंगल, एंटी-बायोटिक, हार्मोन्स एवं कृमिनाशक दवा देना.

21. संक्रामक रोगों के निगरानी कार्य, प्रयोगशाला जांच एवं रोग उद्भेद नियंत्रण उपायों सहित अन्य संबंधित तकनीकी कार्यों में पंजीकृत पशु चिकित्सक का सहयोग करना.

22. सर्जिकल/गायनेकोलोजिकल हस्तक्षेपों में पंजीकृत पशु चिकित्सक का सहयोग करना.

23. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम, मैदानी प्रदर्शनी एवं पशु चिकित्सा शिविरों में सहयोग करना.

24. पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी, रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, शासकीय पशु/पक्षी प्रक्षेत्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य विभागीय संस्थाओं में पंजियों का संधारण करना.

उपरोक्त समस्त लघुपद पशु चिकित्सा सेवायें (Minor Veterinary Services), पंजीकृत पशु चिकित्सक के निगरानी एवं मार्गदर्शन में किया जायेगा. साथ ही साथ पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा.

No. 1416/C.G.S.V.C./2015-16.— In exercise of the powers conferred by the *Explanations* to the proviso to clause (b) of the section 30 of the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984), the Government of Chhattisgarh, hereby specifies the following Minor Veterinary Services to be permitted by the Government of Chhattisgarh, by order under the proviso to clause (b) of the said section 30, to be rendered by the persons holding a diploma or certificate as specified under the said proviso, for the purposes of the said Act, namely:-

1. To render preliminary aid to ailing animals and birds.

2. To carry out dressing of superficial surgical ailments like wounds, abscesses, fistula.

3. To administer antiseptics, intra-uterine.

4. To carry out painting of cervix in animals with medicaments like Lugol's or Povidone Iodine solutions.

5. To render preliminary aid in the prolapse cases.

6. To render preliminary aid through oral administration of analgesic and antipyretic in case of pain and fever.

7. To render preliminary aid in non infectious disease like tympany, bloat, constipation, impaction, diarrhea, dysentry.

8. To assist registered Veterinary Practitioner in performing major operation.

9. To record body temperature of animals and birds.

10. To carry out washing of mouth, hooves, feet, udder etc with antiseptic/ medicated preparations in conditions like foot and mouth disease, mastitis, stomatitis etc.

11. To render preliminary aid in cases of simple fractures in animals.

12. To carry out dis-infection of livestock and poultry houses.

13. To prevent from external and internal parasites.

14. To perform castration by closed method, de-horning, dis- budding and de- beaking.

15. To vaccinate animals and birds against various diseases.

16. To compound and dispensing of medicine.

17. To collect and dispatch samples of blood, serum, urine, faeces, semen, milk and other specimen for laboratory examination.

18. To apply or administer the drugs specified in the "schedule H" of the drugs and cosmetics Rules 1945 made by Government of India under the drugs and cosmetica Act 1940(23 of 1940) as per the prescription of the registered veterinary practitioner and in the stipulated quantity as prescribed by the Registered Veterinary Practitioners.

19. To render preliminary aid in case of emergency likes poisoning, snake bite, electrocution, dystocia, wild animal attack, natural calamities, accident etc.

20. To administer or apply anti-microbials, anti-fungals, anti-biotics, hormones etc. against blood protozoon, anti-helmintics against ecto and endo-parasites under the supervision of a registered Veterinary practitioner.

21. To assist registered Veterinary practitioner in surveillance of infectious diseases laboratory investigations, quality control and any other technical work assigned by the Registered Veterinary Practitioner.

22. To assist registered Veterinary practitioner in surgical/ gynecological interventions.

23. To help in the Animal Husbandry Extension programme, field demonstration, Veterinary camps.

24. To maintain official records of polyclinic, disease investigation lab, Hospital, Dispensaries, Livestock & Poultry farms, Training centre and other departmental institutions.

Provided that, all above Minor Veterinary Services shall be performed under the supervision and directions of the registered Veterinary practitioner.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 4-12/56/2017/इसूप्रौ.—राज्य शासन एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना" (स्काई) अधिसूचित करता है :—

1. **योजना का नाम—** "छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना" (स्काई) होगा. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, शहरी गरीब परिवार एवं कॉलेज के युवाओं को निःशुल्क मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाएंगे. परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

2. **योजना का उद्देश्य—** छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

   2.1 राज्य के मोबाईल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदाय करने का प्रयास.

2.2 स्मार्ट फोन के उपयोग के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना.

2.3 मोबाइल के उपयोग से जेंडर सशक्तिकरण का कार्य करना.

2.4 जन धन, आधार और स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू करना.

2.5 डिजिटल भुगतान और पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना.

2.6 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना.

2.7 नागरिक, स्मार्ट फोन का उपयोग शासन में साझेदारी, शासकीय और निजी सेवाओं तक पहुंच के लिए कर सकें.

3. **योजना की अवधि —**

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी.

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019-20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां मोबाईल कवरेज उपलब्ध नहीं है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए.

3.4 परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

4. **योजना का स्वरूप —**

4.1 योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला प्रमुखों, शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुखों और कॉलेज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मोबाइल फोन वितरित किये जाएंगे. परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा.

4.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा.

4.3 जिस हितग्राही को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा, उसका फोन-नंबर पूर्व आवंटित होगा, यह आधार और बैंक खाता से भी जुड़ा होगा. इससे हितग्राही, फोन निरन्तर रखने हेतु प्रोत्साहित होगा.

4.4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मरम्मत और रखरखाव का स्वरोजगार विस्तारित होगा.

4.5 योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जाएगा.

5. **योजना की लागत/बजट —**

5.1 योजना की अनुमानित लागत रु. 1230 करोड़ होगी.

5.2 योजना हेतु आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग, योजना का क्रियान्वयन चिप्स के माध्यम से करेगा.

5.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा.

6. **भौतिक लक्ष्य—**

6.1 इस योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है :—

चरण (1)	प्राप्तकर्त्ता (2)	संख्या (3)	कुल (4)
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	40.1 लाख	50.8 लाख
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार.	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019-20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	4.8 लाख	4.8 लाख
		योग	**55.6 लाख**

7. **वित्तीय व्यवस्था —**

7.1 प्रथम चरण के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य :—

वितरण अवधि (1)	स्मार्ट फोन की संख्या (2)	वित्तीय लागत (करोड़ में) (3)
वर्ष 2017-18 से 2018-19	50.8 लाख	1128.00

7.2 द्वितीय चरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य :—

वितरण अवधि (1)	स्मार्ट फोन की संख्या (2)	वित्तीय लागत (करोड़ में) (3)
वर्ष 3 (2019-20)	4.8 लाख	102.00
योग	**4.9 लाख**	**102.00**

8. **योजना का क्रियान्वयन —**

8.1 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी. मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा सुविधानुसार अन्य निश्चित स्थान से किया जाएगा.

8.2 जिला कलेक्टर, वितरण योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे.

8.3 हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कॉलेज में युवाओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा.

8.4 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने वाले कंटेन्ट तैयार कराये जाएंगे.

8.5 खरीद, वितरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चिप्स मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) का विकास करेगा. जिला कलेक्टर एसओपी के अनुसार फोन वितरित करेंगे और वितरण की जानकारी के साथ हितग्राही का विवरण चिप्स को उपलब्ध करायेंगे.

8.6 हितग्राहियों की सूची www.chips.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी.

8.7 मोबाइल आपूर्तिकर्ता के तकनीशियनों द्वारा मोबाईल मरम्मत/सेवा केन्द्र का संचालन एवं मोबाईल मरम्मत का प्रशिक्षण कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

8.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु चिप्स द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जायेगी.

8.9 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भवनों की छत नि:शुल्क उपयोग करने की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान की जायेगी.

8.10 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शासकीय भूमि का नि:शुल्क आबंटन किया जाएगा.

8.11 परियोजना अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नि:शुल्क राईट ऑफ वे (राष्ट्रीय राजमार्ग, वन एवं रेल्वे की भूमि छोड़कर) दिया जाएगा.

9. **उच्च अधिकार प्राप्त समिति की संरचना —**

9.1 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य सचिव
10.	अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार सदस्य बढ़ाए जा सकेंगे.	

9.2 **उच्च अधिकार प्राप्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :—**

9.2.1 योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करना.

9.2.2 योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन करना.

9.2.3 योजना के अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों के अलावा किसी अन्य वर्ग को शामिल करने का अधिकार उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्राप्त होगा.

9.2.4 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता एवं वितरण योजना का आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना.

9.2.5 योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना.

9.2.6 अंतर्विभागीय समन्वय करना.

10. **मॉनिटरिंग—**

10.1 इस योजना की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाएगी.

10.2 परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए चिप्स परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेंगी.

10.3 परियोजना प्रबंधन इकाई इस योजना के लिए मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) और अनुश्रवण प्रारूप का विकास करेगा.

10.4 योजना के क्रियान्वयन, स्पष्टीकरण एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश या संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिक विभाग प्राधिकृत होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10038/1429/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के पद पर नियुक्त श्री राकेश मिश्रा, अधिवक्ता, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 20-09-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10041/1429/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, (FTC) राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के पद पर नियुक्त श्रीमती रेवती चौधरी, अधिवक्ता, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 22-09-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्रमांक 10043/1429/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के पद पर नियुक्त श्री विष्णु प्रसाद साव, अधिवक्ता, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 20-09-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिये उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक/1293/01/अ-82/रीडर-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2017.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	रेगाबोंड प.ह.नं. 42-50	9.340	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, उप संभाग पंडरिया, संभाग कवर्धा.	रेगाबोंड - कुण्डा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक/1295/03/अ-82/रीडर-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2017.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	रूसे प.ह.नं. 46	2.107	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, उप संभाग पंडरिया, संभाग कवर्धा.	जलदानाला जलाशय व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक/1297/02/अ-82/रीडर-1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2017.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सोढा प.ह.नं. 47	4.491	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, उप संभाग पंडरिया, संभाग कवर्धा.	जलदानाला जलाशय व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बन्सोड, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 नवम्बर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सरवानी प.ह.नं. 23	0.133	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया जिला रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

रायगढ़, दिनांक 20 नवम्बर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिंजिर प.ह.नं. 03	0.120	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण (पूरक) हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	धरमजयगढ़	सिथरा	0.193 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु की सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08 जनवरी 2018 को समय 2.00 बजे से 5.00 बजे तक स्थान ग्राम पंचायत भवन सिथरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जावेगा.

(2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01 परिवार

(3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां.

(8) परियोजना की कुल लागत — 2,69,458-00 रुपये.

(9) परियोजना से होने वाला लाभ — जन सामान्य के आवागमन सुविधा.

(10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — मूल्य लगभग 5,00,000-00 रुपये.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 20 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हे. में) (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खड़गांव	0.338 हे.	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09 जनवरी 2018 को समय 10.00 बजे से 1.00 बजे तक स्थान ग्राम पंचायत भवन खड़गांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जावेगा.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	3 पेड़ एवं 1 नलकूप
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(7)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां.
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	6,41,305-00 रुपये.
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सामान्य के आवागमन सुविधा.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	मूल्य लगभग 5,00,000-00 रुपये.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक 13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बादीमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	221/2 क, 222/2क, 223/2 क	0.216
	217/9	0.065
	221/5 क, 222/5क, 223/5क	0.144
	221/1क, 222/1क, 223/1क	0.075
	202/1	0.069
	217/7 क	0.010
	217/8	0.069
	217/7 ख	0.024
योग	08	0.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत केलो मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 8585/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 227, 233, 234 and 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in Schedule-I of the Chhattisgarh Judicial Officers (Confidential Rolls) Regulations, 2015 :—

AMENDMENTS

"After Serial Number 4 of Schedule-I of Chhattisgarh Judicial Officers (Confidential Rolls) Regulations, 2015, the following shall be inserted :—

4-A	Presidetnt of Industrial Court.	Chief Justice	Chief Justice	Chief Justice
4-B	Member Judge of the Industrial Court, Presiding Officers of the Labour Courts.	President of Industrial Court	Portfolio Judge of the concerned District.	Chief Justice

Bilaspur, the 7th October 2017

No. 8587/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh is pleased to make the following further amendments in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007, which shall come into force from the date of its publication in the Chhattisagrh Gazette :—

AMENDMENTS

Rule 140 (23) of High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 be substituted by the following provision :—

"23 (i) **Arbitration Application :** All arbitration applications under Arbitration Act, 1940 or under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 excluding requests for appointment of arbitrator under Section 11 (4), (5) or (6) of the 1996 Act.

(ii) **Arbitration Request :** All arbitration requests under Section 11 (4), (5) or (6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(iii) **Arbitration Appeal :** Appeals under the Arbitration Act, 1940 or the Arbitration and Conciliation Act, 1996."

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1236/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The period of officiation/probation of the following officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below are, hereby, extended for a further period of one more year as specified in column No. (5) :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer	Date of appointment in H.J.S.	Date of completion of first extension of officiation/ probation peiod	Date of completion of second extension officiation/ probation period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Shri Gregory Tirkey	05-05-2014	04-05-2017	04-05-2018
(2)	Shri Vinod Kumar Dewangan	09-05-2015	08-05-2017	08-05-2018
(3)	Smt. Prisilla Paul Horo	12-05-2014	11-05-2017	11-05-2018
(4)	Shri Sanket Kumar Khanday*	01-07-2014	30-06-2017	30-06-2018

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 86/L.G./2017/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 02 days on 16-10-2017 & 17-10-2017 along with permission to remain out of headquarters form 14-10-2017 to 22-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 87/L.G./2017/II-2-4/2005.—Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby, granted earned leave for 10 days from 16-10-2017 to 25-10-2017 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Naidu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 88/L.G./2017/II-2-13/2009.—Shri Gautam Choudriya, Registrar General, High Court of Chhattisgarh Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-10-2017 to 13-10-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 07-10-2017 till 22-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 271 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 89/L.G./2017/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted commuted leave for 09 days from 09-10-2017 to 17-10-2017 along with permission to leave headquarters from 09-10-2017 to 22-10-2017.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 49 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 90/L.G./2017/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-10-2017 to 25-10-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 20-10-2017 till the morning of 26-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 91/L.G./2017/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 02 days on 16-10-2017 & 17-10-2017 along with permission to ramain out of headquarters from 14-10-2017 to 22-10-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ramashankar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 92/L.G./2017/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 30-10-2017 to 03-11-2017 along with permission to leave headquarters from 29-10-2017 to 05-11-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 14th November 2017

No. 93/L.G./2017/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 03 days from 06-11-2017 to 08-11-2017 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 03-11-2017 till before the office hours of 09-11-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 244 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 229/दो-3-7/2015.—श्री संतोष शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 230/दो-2-32/2015.—श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 231/दो-2-21/2006.—श्री दीपक कुमार तिवारी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव वर्तमान रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 232/दो-2-21/2006.—श्री दीपक कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार (आई एण्ड ई), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-10-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.